

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

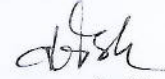
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/20574-80

दिनांक:- 07 मार्च 2014

कार्यालय आदेश

श्री गोपाल दास स्वामी, लेखाकार (मेरिट नं. 209/11, लिंक नं. 9508) कार्यालय वाणिज्य कर विभाग वृत्त सिरौही को जिला कलक्टर (सहायता) सिरौही में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/20574-80

दिनांक:- 07 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी कोष कार्यालय सिरौही।
2. वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग वृत्त सिरौही।
3. जिला कलक्टर (सहायता) सिरौही।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री गोपाल दास स्वामी, लेखाकार (मेरिट नं. 209/11, लिंक नं. 9508) वाणिज्य कर विभाग वृत्त सिरौही को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिरिक्त कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर अवगत करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(कै. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)